

20.2.20

पत्रावली पत्र हुई। क्लीर वाली
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज
लागाई गई उसका वाक्य ही ना ही
ही क्लीर वाली और ना ही वाली
स्वयं उपर आय। बार वाली आउग
हाजरी एवं आउग पैरवी में स्नारिज
किया जाता है। पत्रावली नगवा से
कम होकर इफ्तार डोरिवल है।
निर्णय सुनाया गया।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व.)
नोहर (धनुमानगढ़)